समाहरणालय, बक्सर
(नजारत शाखा)
भाड़े पर वाहन रखने के लिए दर निर्धारण हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक 080967/नजा0 दिनांक 26.11.19 के द्वारा आमंत्रित निविदा सफल नहीं होने के कारण बक्सर समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदाधिकारियों के उपयोग के लिये भाड़े पर व्यवसायिक निबंधन वाले वाहन लिया जाना है। इस हेतु भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन का दर निर्धारण के लिए वाहन मालिक से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक वाहन मालिक दिनांक 28.02.2020 के अप0 01:00 बजे तक जिला पदाधिकारी के कार्यालय (जिला नजारत शाखा) में निविदा दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त निविदा को दिनांक 28.02.2020 को ही अप0 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।

निविदा की शर्तें

निविदादाता के द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा द्वि–लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत अलग–अलग लिफाफा में रखा जाएगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को ही वित्तीय निविदा में शामिल किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रहेंगे:–

7. वाहन का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण–पत्र।
8. वाहन का बीमा कागजात।
9. वाहन का रोड टैक्स।
10. प्रदूषण / फिटनेस प्रमाण–पत्र।
11. वाहन का परमिट संबंधी कागजात।
12. निविदादाता को अग्रधन के रुप में जिला पदाधिकारी के पदनाम से मो0 – 5000/– (पाँच हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा:–

वित्तीय निविदा में वाहन का दर निम्न Format में भर कर दिया जाना है:–

क्र0	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन चालक एवं ईंधन सहित।		प्रतिदिन चालक सहित एवं ईंधन रहित।		प्रतिमाह (1000 कि0मी0 तक) चालक सहित एवं ईंधन रहित।		प्रतिमाह (1000 कि0मी0 तक) चालक एवं ईंधन सहित।		1000 कि0मी0 से अतिरिक्त चलने पर प्रति कि0मी0 की राशि	
		सामान्य	वातानुकूलित	सामान्य	वातानुकूलित	सामान्य	वातानुकूलित	सामान्य	वातानुकूलित	सामान्य	वातानुकूलित
1.	जाईलो / स्कार्पियों										
2.	इनोवा / सफारी										
3.	बोलरो / सुमो										

(ग) अन्य शर्त्तें

11. वाहन का निबंधन वर्ष 2017 के पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा निबंधन बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी जिला का होना अनिवार्य होगा।
12. वाहन का दैनिक रख–रखाव, चालक का वेतन, मरम्मति का खर्च आदि का वहन वाहन स्वामी को स्वयं वहन करना होगा। नियमानुसार होने वाले भाड़े भुगतान में से आयकर की कटौती की जायेगी।
13. भाड़े पर वाहन लेने हेतु वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए। भाड़े पर वाहन लिये जाने से पहले वाहन की जाँच मोटर यान निरीक्षक द्वारा की जायेगी।
14. वाहन माह के प्रतिदिन 24 घंटे चालक सहित उपयोग हेतु जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्वामी द्वारा ससमय वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर वाहन भाड़े में से आवश्यक कटौती की जायेगी।
15. वाहन वापस लेने हेतु कम से कम एक माह पूर्व सूचना देना होगा।
16. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपर्युक्त आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा।
17. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी हेतु नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
18. वाहन मालिक / संबंधित एजेन्सी यदि नया वाहन देते है तो निविदा सफल होने के उपरान्त वाहन का एक माह के अन्दर व्यवसायिक निबंधन कराना अनिवार्य होगा।तत्पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा। इसके लिए संबंधित कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। नया व्यावसायिक वाहन देने की स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि तकनीकी निविदा का उल्लेखित शर्त्त में याचित सभी वांछित कागजात एकरारनामा के साथ संलग्न कर दिया जायेगा।
19. जिला प्रशासन एवं जिला स्तरीय / क्षेत्रीय पदाधिकारी जिनके द्वारा वाहन का भाड़े पर उपयोग किया जाता है। वे निविदा सफल होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में नीजि वाहन का भाड़े पर परिचालन नहीं करेंगे। यदि अंकेक्षण इत्यादि में आपत्ति उठायी जाती है, तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित कार्यालय की होगी।
20. प्रकाशित निविदा को जिला के वेबसाईट www.buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

R. Singh 05/02/20

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।